**संख्या-07/2026/।/1228400/2026/11-4099/31/2025**

प्रेषक,

**अरविन्द सिंह,**
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**रजिस्ट्रार,**
वाणिज्य कर अधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

**राज्य कर अनुभाग-4** **लखनऊः दिनांक 05 फरवरी, 2026**

**विषयः**-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत **वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान** के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र अपने पत्र संख्या-वा0क0अधि0/बजट/2025-2026/पुर्नविनियोग/144/2025, दिनांक 08.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व लेखा के अनुदान संख्या-089 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2040-00-800-04-वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के मानक मद 55-मकान किराया भत्ता में उपलब्ध बचत रू0 2037.00 लाख में से लेखाशीर्षक 2040-00-800-04-वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के मानक मद 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय में रू0 6.00 लाख (रुपये छः लाख मात्र) एवं मानक मद 49-चिकित्सा व्यय में रु0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) इस प्रकार कुल रु0 16.00 लाख (रू0 सोलह लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

**2-** इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2040-800-04-**वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान** के मानक मद 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय मद में रू0 6.00 लाख एवं मानक मद 49-चिकित्सा व्यय में रु0 10.00 लाख, इस प्रकार कुल **रु0 16.00 लाख (रू0 सोलह लाख मात्र)** की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति (**संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसा**र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है-

**नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों**

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जायेगी।

3. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।

**3-** इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 6,00,000 ( रुपये छह लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 089 **लेखा शीर्षक** 2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान- **मानक मद** 05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय (2) रुपये 10,00,000 ( रुपये दस लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 089 **लेखा शीर्षक** 2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान- **मानक मद** 49 चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

**4-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय,

**अरविन्द सिंह**
उप सचिव।

**संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।**

**प्रतिलिपि,** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
**अरविन्द सिंह**
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

# बी एम-9 (भाग - 1)

# पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

### (संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A011-20252026-2003123-2

विषय:- मानक मद 55-मकान किराया भत्ता मद में उपलब्ध बचत से मानक मद 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय एवं मानक मद 49-चिकित्सा व्यय मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

### निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 089 | 2040008000400 (वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-) | 55 (मकान किराया भत्ता) | 3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र | 16,00,000 रुपये सोलह लाख मात्र | 16,00,000 रुपये सोलह लाख मात्र | 16,00,000 रुपये सोलह लाख मात्र | 2,84,00,000 रुपये दो करोड़ चौरासी लाख मात्र | 2025-2026 |
| **कुल** | | | | | ₹ 16,00,000 | ₹ 16,00,000 | | |

### निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

,

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 089 | 2040008000400 (वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-) | 49 (चिकित्सा व्यय) | 35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र | 10,00,000 रुपये दस लाख मात्र | 10,00,000 रुपये दस लाख मात्र | 45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र | 2025-2026 |
| 089 | 2040008000400 (वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-) | 05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय) | 20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र | 6,00,000 रुपये छह लाख मात्र | 6,00,000 रुपये छह लाख मात्र | 26,00,000 रुपये छब्बीस लाख मात्र | 2025-2026 |
| **कुल** | | | | ₹ 16,00,000 | ₹ 16,00,000 | | |

### कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

**कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-**

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है-

शासन द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष-2025-26 हेतु मानक भद 55-मकान किराया भत्ता मद में रू० 3,00,00,000/- की राशि प्राविधानित की गई है, जिसके सापेक्ष अब तक रू0 96,22,187/ की धनराशि व्यय हुई है तथा रू0 2,03,77,813/- की धनराशि अवशेष है। माह मार्च-2026 तक भानक मद 55-मकान किराया भत्ता मद में लगभग रू0 1.40,00,000/- व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार मानक मद 55-मकान किराया भत्ता मद में रू0 1,60,00,000/- की बचत होने की पूर्ण सम्भावना है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है-

मानक मद 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय मद में प्राविधानित रू0 20,00,000/- के सापेक्ष अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी कार्यालयों को रू0 19,32,785/- का धनावंटन किया गया है तथा रू0 17,15,238/ की धनराशि व्यय हो चुकी है। इस प्रकार मुख्यालय के बजट में मात्र रू0 67,215/- की धनराशि अवशेष है, जबकि वर्तमान में न्यायिक /विभागीय/सदस्यों तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल रू0 6,00,000/- के स्थानान्तरण यात्रा देयक भुगतान हेतु लम्बित हैं, जिनके भुगतान हेतु मानक मद 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय मद में रू0 6,00,000/- के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है।

मानक मद 49-चिकित्सा व्यय मद में पुनर्विनियोग सहित कुल प्राविधानित रू0 35,00,000/- के सापेक्ष अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी कार्यालयों से प्राप्त मांगपत्रों के दृष्टिगत रू0 27,38,297/- की धनराशि आवंटित की गई है तथा रू0 24,57,203/- की धनराशि व्यय हो चुकी है। इस प्रकार मुख्यालय के केन्द्रीय बजट में मात्र रू0 7,61,703/- की धनराशि अवशेष है. जबकि वर्तमान में न्यायिक / विभागीय / सदस्यों तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लगभग रू0 7,00,000/- के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे भुगतान हेतु लम्बित हैं तथा वित्तीय वर्ष-2025-2026 समाप्त होने में अभी दो माह से अधिक का समय अवशेष है, माह मार्च-2026 तक वाणिज्य कर अधिकरण अधिष्ठान में कार्यरत आहरण वितरण अधिकारी कार्यालयों से मानक मद 49-चिकित्सा व्यय मद में मांगपत्र प्राप्त होने की प्रत्याशा में मानक मद 49-चिकित्सा व्यय मद में रू0 10,00,000/- के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाना है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधो/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-257-E-9-257-X-2025-26-दिनांक: 29-01-2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

अरविन्द सिंह

उप सचिव

सिद्धार्थ श्रीवास्तव

सिद्धार्थ श्रीवास्तव

संख्या : / , दिनांक- फरवरी, 2026

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ/ जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-9
7. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

अरविन्द सिंह
उप सचिव